राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2422/2023

रामपती चौधरी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुंझुनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खेतडी, जिला झुंझुनू।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2023
आदेश की दिनांक : 22.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देशराज कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चारावास, खेतडी, झुंझुनू में दिनांक 06.08.2023 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को माह अगस्त, 2022 से अब तक वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी उक्त स्थान पर अधिशेष कार्मिक है। जबकि विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2023 जारी किया जा चुका है कि वेतन का भुगतान ब्लॉक अथवा जोन में उच्च पद से भुगतान कर दिया जावे, परंतु अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.08.2022 के द्वारा उपकेन्द्र, संजय नगर, खेतडी से चारावास, जिला झुंझुनू स्थानान्तरित किया गया है और तब से अपीलार्थी कार्य कर रहा है। परंतु विभाग द्वारा उसे वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उसे अपने जीवन व्यापन में आर्थिक रूप से कठिनाइयां हो रही है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को अगस्त, 2022 से अगस्त, 2023

तक का वेतन का भुगतान प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2023 के संदर्भ में जारी किया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.08.2022 के द्वारा उप केन्द्र, संजय नगर, झुंझुनू से पीएचसी, चारावास, खेतडी, झुंझुनू पदस्थापित किया गया है, जो सुमन के स्थान पर पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी का यह पदस्थापन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जहां तक अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन स्थान से वेतन भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 12.09.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश द्वारा समस्त सीएमएचओ/पीएमओ को निदेशक द्वारा कार्यरत कार्मिकों का वेतन समकक्ष/उच्च रिक्त पद से निर्देशानुसार आहरित किया जाना सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए गए हैं, परंतु उक्त आदेश के बावजूद अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो उक्त आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देना समीचीन समझते हैं कि उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को कार्यग्रहण की दिनांक से अगस्त, 2022 से नियमानुसार वेतन भुगतान किया जावे।

5. उक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य